



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021

भाद्रपद 2, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 790/79-वि-1-21-1-क-17-21

लखनऊ, 24 अगस्त, 2021

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2021 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 अगस्त, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 2021 कहा जायेगा। और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 12 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2 उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019, (जिस आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची 2, में क्रम संख्या 27 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 27 के पश्चात् गवर्णरपति विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्याएं बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
28	गूनाहरेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	शिवशम द्वारा गुलाबी मेमोरियल ट्रस्ट, प्रयागराज
29	एफ0एस10 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	फूलन सिंह जन कल्याण ट्रस्ट, सीतानगर, नगलाभाऊ, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश
30	महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय समिति, श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर, गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

3-(1) राज्य सरकार, यूनाइटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, एफ0एस10 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश और महायागी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निर्देश देती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लाभ, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

निर्माण और
साक्षिण

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 4 सन्
2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने का उपबंध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

तीन नये निजी विश्वविद्यालयों अर्थात् (एक) यूनाइटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश (दो) एफ.एस. विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश और (तीन) महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबन्ध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2021 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2021) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 790 (2)/LXXIX-V-1-21-1(ka)-17-21

Dated Lucknow, August 24, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 24, 2021. The Uchha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)

ACT, 2021

(U.P. Act no. 17 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as follows:-

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Act, 2021.

Short title
and
Commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from April 12, 2021.

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") after serial no. 27, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 27 for the newly established Universities the following serial numbers shall be inserted, namely :-

Amendment of
Schedule 2 of
U.P. Act no. 12
of 2019

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
28	United University, Prayagraj, Uttar Pradesh	Shiv Ram Das Gulati Memorial Trust, Prayagraj
29	F.S. University, Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh	Fulan Singh Jankalyan Trust, Sita Nagar, Nagla Bhau, Firozabad, Uttar Pradesh
30	Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur, Uttar Pradesh	Guru Shri Gorakshnath Chikaitsalay Samiti, Shri Gorakhnath Mandir Parisar, Gorakhnath, Gorakhpur, Uttar Pradesh

3. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of United University Prayagraj, Uttar Pradesh, F.S. University Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh and Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur, Uttar Pradesh by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Power to
remove
difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed.

U.P.
Ordinance no.
4 of 2021

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing private universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education in the State of Uttar Pradesh and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of three new private Universities, namely :—

(i) United University Prayagraj, Uttar Pradesh; (ii) F.S. University Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh; and (iii) Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 4 of 2021) was promulgated by the Governor on April 12, 2021.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.